

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
क्रमांक:-प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/5571

दिनांक: 31/5/2019

-:आदेश:-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 336 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित कर्मचारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन अन्यत्र किया गया था, किन्तु आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण संबंधित निकाय द्वारा उक्त कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण नहीं करवाया गया था, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	श्री राम प्रसाद चोधरी	सहा0 प्रशा0 अधिकारी	एपीओ निदेशालय	ब्यावर
2.	श्री महावीर प्रसाद सुमन	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	ब्यावर
3.	श्री तौफान पंवार	सफाई कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	अजमेर
4.	श्री सोनू डंगोरिया	सफाई कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	ब्यावर
5.	श्री सुनिल कुमार/ राधेश्याम	सफाई कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	ब्यावर
6.	श्री महेन्द्र कराडिया	सफाई कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	अजमेर
7.	श्री रवि कराडिया	सफाई कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	महुआ
8.	श्री रोहित	सफाई कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	किशनगढ (अजमेर)
9.	श्रीओमप्रकाश	जमादार	एपीओ निदेशालय	बांदीकुई
10.	श्री मुकेश हरित	सफाई कर्मचारी	एपीओ निदेशालय	ब्यावर
11.	संज्या कुमारी	फायरमैन	श्रीगंगानगर (स्थान्तरणाधीन) हाल निदेशालय	नवलगढ
12.	श्री महेन्द्र नागर	फायरमैन	एपीओ निदेशालय	नगर
13.	श्री राजेश पुत्र सुभाष	सफाई कर्मचारी	संगरिया (स्थान्तरणाधीन) हाल निदेशालय	पीलीबंगा

वर्तमान में आदर्श आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। अतः उक्त कार्मिकों को संबंधित निकाय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु निदेशालय से कार्यमुक्त किया जाता है। उक्त कार्मिक अपनी उपस्थिति संबंधित निकाय में दें।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1ग()का/एसएमई/डीएलबी/19/5572-5600 दिनांक : 31/5/2019
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो0 स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष/आयुक्त/अधिशापी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिका.....
5. उपनिदेशक (क्षेत्रिय) स्थानीय निकाय विभाग.....
6. संबंधित कर्मचारी.....।
7. सुरक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)